


ग्रानक शर्तेः

1. भूमि हरतात्तरण के बाद भी संसाके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्ण रूप से अधिकार वन भूमि वनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कांवल प्रयोजन हेतु ही विद्या जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग रास्ता अथवा व्यवित विशेष को हरतात्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संपुक्त निरीक्षण करके निर्मित कर लिया गया है कि वार्षीय गड़ भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हरतात्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकदार वन भूमि की किसी प्रकार की शक्ति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा विद्या लाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्वाचित मुआवजे के भुगतान उपत विभाग को करना होगा, जिसके यात्रक नियम सहज है।
6. भूमि का रीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिक री की दस-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में दनाये गए मूलर आदि की भी दखलना करेगा।
7. हरतात्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण हेतु जाने पर हरतात्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगा।
8. बहुमुख्य वन सम्पदों वा आव्यादित एवं वन जन्मुओं वा भरपूर वन सेवा का हरतात्तरण यथासमाव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य वन्यों वा ही द्वारा विद्या जान्न राम्यं होगा, परन्तु प्रतिवध यह होगा कि वन सम्पदों की विविधता एवं अन्य जन्मुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था निर्वाचित करने के बाद भी भूमि हरतात्तरण की जायेगी।
9. रिचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की वरतात्तरियों पूर्ण वाले एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निश्चल जल की सुविधा उपलब्ध नवायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हरतात्तरित वन भूमि पर उपर्याप्त अन्य व्याधीजन हेतु करने अथवा विभाग रास्ता या व्यवित विशेष की हरतात्तरित कोई पर वन भूमि रखता विना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापर हा जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हरतात्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि रखता विना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तथा छोटे समय रथानीय रास्ते पर वन विभाग वा परामर्श राजनीतिगति द्वारा प्राप्त विद्या जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अधिकारी, राजनीतिगति के अतिरिक्त मुख्य अनियन्त्रा, पौर लेव वाड़ी का सम्बोधित पत्र राज्यमा 600 रुपये दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी राजनीतिगति द्वारा किया जायेगा कि अश्वार्य वनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का पालन याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि वा गूँह अवधिपूर्वी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित एमां पत्र के आवार पर आंकड़ों होना जो याचक विभाग को मात्र होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का इत्तरण वन विभाग द्वारा वन विभाग अधिकारी और कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित राजनीत द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण वृक्षों का निरतात्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का वाजार व्यय पर गूँह देंय होगा।
14. हरतात्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों की प्रतिकार या याचक विभाग द्वारा हरतात्तरित भूमि के सम्बन्ध मूल्यांकन का भुगतान अथवा सम्बन्ध पैर वनिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वनिकी हत्रफल में वृक्षांकन तथा 3 घण्टे तक परिपालन व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय वा भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 ग्रीटर प्रॅव 30 हिंदी से अधिक द्वारा पर खड़े वृक्षों के पालन भी चलित है। ऐसे वृक्षों के पालन वन विरीक्षण वन संरक्षक रास्ते पर ही होगा।

Add. Attachment 2.30 1 2.31

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खामों को ढाँचा करके इस सुनिश्चित किया जायेगा। यदि पिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त रथन निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और हर की दोनों पट्टीयों को पवका करना आगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा यानुकूल विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों वाला भूरा पालन कर लगाई गई शर्त याचक विभाग को मान्य है।
- प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्त याचक विभाग को मान्य है।

न्यौक्ता संजेन्सी



Executive Engineer
Construction Division, P.W.D.
NAINITAL.